

छत्तीसगढ़ शासन
परिवहन विभाग

प्राधिकृत परीक्षण केन्द्र हेतु रुचि की अभिव्यक्ति
Expression of Interest (EOI) हेतु सूचना

छत्तीसगढ़ शासन, परिवहन विभाग द्वारा रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, जगदलपुर एवं अंबिकापुर में मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा-56 एवं केन्द्रीय मोटरयान नियम 1989 की धारा 63 एवं 65 के अंतर्गत अभिहित शर्तों के अधीन परिवहन यानों के फिटनेस परीक्षण तथा उपयुक्तता प्रमाण पत्र जारी करने हेतु अधिकृत परीक्षण केन्द्र के रूप में प्रस्ताव आमंत्रित किये जाते हैं। ऐसे समस्त अधिकृत डीलर्स जिनके पास सर्विस स्टेशन हो जो उपरोक्तानुसार परिवहन वाहनों के फिटनेस परीक्षण हेतु इच्छुक है तथा उक्त कार्य हेतु आवश्यक अर्हता/क्षमता रखते हैं, द्वारा Expression of Interest (EOI) आमंत्रित किया जाता है। Expression of Interest (EOI) हेतु दिनांक 15/06/2016 को सायं 04:00 बजे तक डाक/कूरियर के माध्यम से अपना प्रस्ताव परिवहन आयुक्त कार्यालय, तृतीय तल, ब्लॉक-3, इंद्रावती भवन, नया रायपुर में जमा कर सकते हैं

अपर परिवहन आयुक्त